अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत

1	अपीलीय अधिकारी	अपीलीय अधिकारी कार्यकारी निदेशक (पावरग्रिड) दक्षिणी क्षेत्र - 2
2	अपीलीय अधिकारी का पता	नं-.62, प्रगती महालक्ष्मी परमिसिस, साऊथ ब्लॉक, त्रतीय तल, त्रतीय क्रॉस, इंडस्ट्रियल सुबर्ब, यशवंतपुर, बैंगलोर -560022
3	आवेदक का नाम	वी .के .गौड़
4	आवेदक का पूरा पता	म. नं .- सी-115, गली नं.- 8, कान्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली - 110051
5	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा ६ (१) के अंतर्गत आवेदन करने का दिनांक व माध्यम	22 जनवरी- 2014 स्पीट पोस्ट EK403330262IN दिनांक- 23/01/2014 छाया प्रति सलंग्न (देखें संलग्नक - 01)
6	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दी गई फीस	भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये-10/- (देखें संलग्नक - 01)
7	लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का उत्तर निर्गत करने का दिनांक	पत्र संदर्भ:एसआर-II - एफ/ आरटीआई /222/2014 दिनांक 18/02/14 पत्र प्राप्ति दिनांक - 24/02/2014 (देखें संलग्नक - 02)

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का कारण -:

संलग्नक-01में दिये गये विवरणानुसार मुख्य सूचना अधिकारी (पावरग्रिड) नं-.62, प्रगती महालक्ष्मी परमिसिस, साऊथ ब्लॉक, त्रतीय तल, त्रतीय क्रॉस, इंडस्ट्रियल सुबर्ब, यशवंतपुर, बैंगलोर को सूचना अधिकार २००५ की धारा ६ (१) के अंतर्गत 22 जनवरी- 2014 में दिये गये विवरणानुसार को आवेदन किया गया, जिसके उत्तर स्वरूप दिनांक- 18/02/2014 उपमहाप्रबंधक एवं मुख्य सूचना अधिकारी (पावरग्रिड) का पत्र संदर्भ:एसआर-II/आरटीआई/एफ- 222/2014 दिनांक 18/02/14 का पत्र (संलग्नक-02) में दिये गये उत्तर स्वरूप दिनांक- 24/02/2014 को प्राप्त हुआ, इस पत्र द्वारा चाही गई सूचना आधारहीन, फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल विषय वस्तु से हटकर उपलब्ध कराई गई, उसमें से कुछ सूचना छुपाई गई और कुछ सूचना संदेहास्पद प्रतीत हो रही है जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत है :-

1) बिन्दु संख्या -01 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि कर्मचारियों के स्थानांतरण पर उनके तैनाती स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर अपने आश्रित परिवार के सदस्यों को रखने के लिये अनुरोध पर, उनके बच्चों के शिक्षा सत्र तथा उनके आवेदन में उल्लिखित कारणों की जांच करके विशेष अवधि के लिये दी जाती है| अनुमती की प्रारम्भिक अवधि समाप्त होने के बाद, यदि कर्मचारी अवधि आगे बढाने हेतु आवेदन करता है तो मामले की मेरिट को ध्यान में रखते हुये उनके मामले की समीक्षा करके आवेदन को प्रोसेस किया जाता है | कर्मचारी द्वारा अपने आश्रित परिवार के सदस्यों एवं शिक्षारथ बच्चों को मूल निवास दिल्ली में रखने बाबत दिनांक-01/03/2011 को प्रार्थना पत्र अपर-महाप्रबंधक (मा.सं.) आरएचक्यू, बैंगलोर, दक्षिणी क्षेत्र – 2 को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित करने के उपरांत लिखित अधिकारिक अनुमति प्रार्थी को दिनांक- 30/06/2011 तक ही दी गई, यहाँ पर सूचना आधारहीन, फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल विषय को छुपाकर उपलब्ध कराई गई , जबकि कर्मचारी के बच्चे वर्ष - 2011 से लगातार आज तक मूल निवास दिल्ली में शिक्षारथ है |

2) बिन्दु संख्या -02 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि उल्लिखित पत्र दिनांक- 07/06/2011 एवं दिनांक-18/06/2012 क्षेत्रीय मुख्यालय के मानव संसाधन विभाग को प्राप्त नहीं हुये थे और उनकी सूचना, मानव संसाधन विभाग, क्षेत्रीय मुख्यालय, बैंगलोर को प्रस्तुत आवेदन दिनांक - 17/10/2013 के प्रतिउत्तर में दी गई थी | यहाँ पर कर्मचारी द्वारा मांगी गई सूचना का प्रमाण न देकर सूचना आधारहीन, फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल विषय को छुपाकर उपलब्ध कराई गई है।

3) बिन्दु संख्या -03 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि जैसाकि आपका परिवार आपके तैनाती स्थान बिडदि में नहीं रहता है, आपके द्वारा संदर्भित चिकित्सा नियमों की नियम सं. ७.३ प्रासंगिक नहीं है | केन्द्रीय कार्यालय के अं.का.ज्ञा.सं.के.मा.सं.:निति:५:६/९९५ दिनांक-०५/०२/२००३ के अनुसार कर्मचारी के तैनाती स्थान के अलावा अन्य स्थान पर परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नी व बच्चों) और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहने वाले आश्रित माता-पिता के लिये चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की अनुमती दी जाती है,जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है | आपके द्वारा प्रस्तुत आपका रू. १,६९७३७/- का चिकित्सा दावा प्रोसेस नहीं किया जा सका, क्योंकि चिकित्सा अवधि के दौरान पूर्व अनुमती प्राप्त नहीं की गई थी | आपके प्रेषित प्रतिउत्तर से पावरग्रिड विभागीय पालिसी वॉल्यूम तृतीय पृष्ठ संख्या -७२ चिकित्सा नियम ७.३ की प्रासंगिकता, वैधानिकता और संवैधानिकता पावरग्रिड विभागीय नियमानुसार समाप्त नहीं होती है, जानबूझकर यहाँ पर कर्मचारी द्वारा मांगी गई सूचना का प्रमाण न देकर सूचना आधारहीन, फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल विषय को छुपाकर उपलब्ध कराई गई है।

26/02/14

3/3/14

4) बिन्दु संख्या -04 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि बिन्दु ३ में उल्लिखित नियम के संदर्भ में, आपके आवेदन दिनांक १८/०९/२०१३ की विधिवत जांच करके इसपर विचार करते हुये चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु आपके परिवार को ३०/०६/२०१४ तक नई दिल्ली में रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था और इसकी सूचना अं.का.ज्ञा.सं.दक्षेपाप्र-२/मा सं-स्था/२०१३/१०४९ दिनांक २५ अक्टूबर २०१३ द्वारा दी गई थी | जानबूझकर यहाँ पर कर्मचारी द्वारा मांगी गई सूचना का प्रमाण न देकर सूचना फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल सत्य को छुपाकर उपलब्ध कराई गई है|

5) बिन्दु संख्या -05 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि १८/१०/२०११ से ०१/११/२०११ की अवधि के चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रति अनुबंध -१ के रूप में सलंग्न है | अन्य चिकित्सा प्रमाणपत्रों की प्रति रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, अत्यंत खेद का विषय है कि प्रार्थी द्वारा अन्य दिनांक-०६/०५/२०१३ से दिनांक-११/०५/२०१३,दिनांक -२७/०७/२०१३ से दिनांक-३१/०७/२०१३ एवम् दिनांक -०१/०८/२०१३ से दिनांक-३१/०८/२०१३ में ली गई परिवर्तित छुट्टी संदर्भित चिकित्सा प्रमाणपत्रों की मूल प्रति मानव संसाधन विभाग, क्षेत्रीय मुख्यालय, बैंगलोर के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने, के उपरांत मानव संसाधन विभाग, क्षेत्रीय मुख्यालय, बैंगलोर ने प्रार्थी को परिवर्तित छुट्टी किस नियमांतर्गत अनुमोदित की है, तथा जानबूझकर यहाँ पर कर्मचारी द्वारा मांगी गई सूचना का प्रमाण न देकर सूचना आधारहीन, फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल सत्य को छुपाकर उपलब्ध कराई गई है |

6) बिन्दु संख्या -06 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि यह प्रतीत होता है कि नियंत्रणकर्ता अधिकारी तथा वित्त व लेखा द्वारा गलती से विद्यमान नियम के अपेक्षानुसार परिवार को अन्य स्थान पर रखने हेतु सक्षम् प्राधिकारी की पूर्व अनुमती को देखें बिना दावों को प्रोसेस किया गया है | इस मामले की जांच की जा रही रही है, यहाँ पर यह लिखना न्यायसंगत एवम् तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि दिनांक-०१/०७/२०११ से दिनांक-१७/०९/२०१३ तक (दिनांक -२९/०६/२०१३ से दिनांक-०४/०७/२०१३ एवम् दिनांक-०७/०८/२०१३ से दिनांक-२४/०८/२०१३ तक की) अवधि को छोड़कर परिवार दिल्ली में रखने की अनुमती तो नहीं दी परंतु चिकित्सा बाबत व्यय की गई धनराशि के बिलों का भुगतान अपनी इच्छानुसार करते रहे यह न्यायसंगत एवम् तर्कसंगत नहीं है और सत्यता को नकारने बाबत षड्यंत्र के अंतर्गत जानबूझकर यहाँ पर कर्मचारी द्वारा मांगी गई सूचना का प्रमाण न देकर सूचना आधारहीन, फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल सत्य को छुपाकर उपलब्ध कराई गई है|

7) बिन्दु संख्या -07 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि उक्त दावे को प्रोसेस न किये जाने सम्बंधी नियम की स्थिति उपरोक्तानुसार सूचित की जा चुकी थी अतः दोषी ठहराना प्रासंगिक नहीं है | २४/०५/२००६ से ३१/०३/२००७ की अवधि हेतु वेतन दावा के सम्बंध में यह उत्तरी क्षेत्र - १ में अप्राधिक्रत अनुपस्थिति से सम्बंधित है और आपको ज्ञात है कि इस सम्बंध में आपको प्रतिउत्तर प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थी दिनांक-०३/०९/१९८६ से आज तक अनाधिक्रत अनुपस्थिति नहीं रहा है, यहाँ पर कर्मचारी द्वारा मांगी गई सूचना का प्रमाण न देकर सूचना आधारहीन, फ़ेब्रीकेटिड, मनगढ़ंत, मूल नियम को छुपाकर उपलब्ध कराई गई है, इसलियें दोषी होने की प्रमाणिक एवं संवैधानिक प्रासंगिकता हैं।

8) बिन्दु संख्या -08 के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया कि उपरोक्तानुसार मामला प्रासंगिक नहीं है यह सूचित करना आधारहीन एवं मनगढ़ंत है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपनी वृद्ध माताजी के उपचार पर व्यय धनराशि रूपये - १६९७३७/- एवं वेतन दिनांक-२४/०५/२००६ से दिनांक- ३१/०३/२००७ तक वैधानिक भुगतान असंवैधानिक रूप से रोकने के कारण एवम् धन के अभाव में उचित इलाज न्हीं होने के कारण असामयिक मृत्यु (UNTIMELY DEATH) दिनांक-१९/११/१३ में होने के कारण श्री बी. एस. राव उप-महाप्रबंधक (मा.सं.) दक्षिणी क्षेत्र -२ के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की प्रमाणिक एवं संवैधानिक प्रासंगिकता हैं।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि अपीलीय अधिकारी महोदय के समक्ष यह प्रथम अपील है इसके अन्य किसी भी स्थान पर कोई अपील नहीं की गई है |

26/02/14

दिनांक- 26/02/2014

आवेदक के हस्ताक्षर